झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
अधिसूचना

राँची, दिनांक– 28/6/22

संचिका संख्या–04/आ0–01–1017/2019.....2654...../ विभागीय अधिसूचना संख्या–1682 दिनांक–11.08.2020 के द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार दिनकर के विरूद्ध कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चक्रधरपुर में पदस्थापन के दौरान लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अनुश्रवण में पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के कारण अधिकांश योजनाएँ अधूरी/बन्द रहने के कारण समय से पूर्व ही योजनाएँ क्षतिग्रस्त हो जाने से संबंधित आरोपों पर विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी।

तत्कालीन विभागीय जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरान्त अपने पत्रांक–322 दिनांक– 06.11.2020 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया, जिसमें आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित पाया गया। जाँच प्रतिवेदन में वर्णित बिन्दुओं की समीक्षा विभाग द्वारा की गई तथा जाँच प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों से असहमत होते हुए कतिपय बिन्दुओं पर पुनः जाँच करने हेतु विभागीय पत्रांक–1115 दिनांक–24.03.2021 के द्वारा विभागीय जाँच संचालन पदधिकारी को अनुरोध किया गया। विभागीय जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक–62 दिनांक–14.03.2022 के माध्यम से अंतिम जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा मूल आरोप से संबंधित बिन्दु को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया।

2. उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आंशिक प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय पत्रांक–1554 दिनांक–05.04.2022 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री दिनकर द्वारा अपने पत्रांक–581 दिनांक–21.04.2022 के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया। श्री दिनकर से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गई, जिसमें कोई नया तथ्य नहीं पाया गया।

3. जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन तथा आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की सम्यक् समीक्षोपरान्त झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2016 के नियम–14 के तहत् दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

T.O

तद्नुसार राज्य सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुरेन्द्र कुमार दिनकर, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चक्रधरपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, खूँटी के विरूद्ध एक (01) वेतन वृद्धि असंचयात्मक रूप से अवरूद्ध करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 2655 राँची, दिनांक– 28/6/22

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

28/6/2022

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 2655 राँची, दिनांक– 28/6/22

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, वित्त विभाग (वैक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, खूँटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/6/2022

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 2655 राँची, दिनांक–28/6/22

प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/6/2022

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

28.06.22

P.T.O

ज्ञापांक– 2655 राँची, दिनांक– 28/6/22

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख/सभी संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता/ सभी अधीक्षण अभियंता (यॉत्रिक सहित) /सभी उप सचिव/ अवर सचिव (प्रशाखा–01 एवं 04)/ सभी कार्यपालक अभियंता (यॉत्रिक सहित)/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/6/2022

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 2655 राँची, दिनांक– 28/6/22

प्रतिलिपिः–श्री सुरेन्द्र कुमार दिनकर, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चक्रधरपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, खूँटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/06/2022

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 2655 राँची, दिनांक– 28/6/22

प्रतिलिपिः–श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वक (IT) (PMU) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/6/2022

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

28.06.22